अमर उजाला

घर में मिला दवाओं का अवैध गोदाम, 3.50 लाख का माल जब्त

आगरा/पिनाहट। औषधि विभाग की टीम ने पिनाहट के मार मोहल्ला में रहने वाले नीरज कुमार गुप्ता के मेडिकल स्टोर व घर पर छापा मारा। घर में दवाओं का अवैध गोदाम मिला। करीब 3.50 लाख रुपये कीमत की दवाएं जब्त की गईं। वहीं जांच के लिए 11 नमूने लिए गए हैं।

औषधि निरीक्षक राजकुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापा मारा गया। दाऊ मेडिकल स्टोर संचालक नीरज कुमार गुप्ता के घर में दो कमरों में भारी मात्रा में दवाएं रखी थीं। जांच करने पर कार्टन में इंजेक्शन, एंटीबायोटिक दवा, फिजीशियन सैंपल, बुखार, खांसी की दवा, सिरप, दर्द निवारक दवा समेत 11 तरह की दवाएं मिली। इनको प्लास्टिक के 25 बोरियों में सील किया गया है। इन दवाओं की कीमत करीब 3.50 लाख रुपये है। घर में बने गोदाम का लाइसेंस मांगा तो नहीं दिखा सके। यहां से 11 तरह की दवाओं के नमूने लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। जब्त दवाएं थाने में जमा कराई गईं हैं।

औषधि निरीक्षक कपिल शर्मा ने बताया कि नीरज कुमार गुप्ता मेडिकल स्टोर संचालक है। इसने घर पर दवाओं का भंडार कर रखा था। लाइसेंस भी नहीं लिया था। यहां से विभिन्न बीमारियों के फिजिशियन सैंपल की दवाएं भी मिली हैं। इनको मेडिकल स्टोर से बेचा जा रहा था। मरीज भी कम कीमत के कारण इसकी खरीद करते थे। संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

Source: https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/illegal-warehouse-of-medicines-found-in-the-house-goods-worth-3-50-lakh-seized-agra-news-agr533210296